न्यायालय अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री अरूण कुमार हसीजा, आर.ए.एस.

राजस्व/अपील सं. 68/2012

अपीलान्ट

बाहेती एज्यूकेशन ट्रस्ट जरिये श्याम बाहेती पुत्र स्व. श्री भंवरलाल जाति माहेश्वरी, उम्र 51 वर्ष निवासी 1025, ई.रोड़, सरदारपुरा, जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर ।
2. श्रीमती शांति पत्नी श्री तेजाराम, जाति भील, निवासी मार्फत् नारायण चौधरी, ग्राम सारी की ढ़ाणी पोस्ट माडावास, तहसील रोहित जिला पाली नाया पता भीलों का बास ग्राम हंसावा पोस्ट चेण्डा, तहसील रोहिट, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 335 ग्राम धिनाणा की ढ़ाणी पटवार हल्का पाल, जिला जोधपुर जो दिनांक 03.09.2008 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर अभिभाषक श्री एस0एन0 भट्ट।
2. रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से विभागीय पैरोकार।
3. रेस्पोडेण्ट सं0 2 की ओर से अभिभाषक श्री अशोक पटेल।

::– आ दे श –:: **दिनांकः 01.06.2016**

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 335 ग्राम धिनाणा की ढ़ाणी पटवार हल्का पाल, जिला जोधपुर जो दिनांक 03.09.2008 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित किया गया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धिनाणा क ढ़ाणी में स्थित खसरा नं0 472/1 रकबा 16.16 बीघा के भूमि बाबत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक नं0 3, जोधपुर में दिवानी मूल वाद संख्या 45/2005 बाहेती ऐज्यूकेशन बनाम नीमाराम वगेरा के नाम से वाद लंबित है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल विविध अपील संख्या 1209/2006 में आदेश पारित कर रखा है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर राजस्थान राज्य यदि किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करते है तो अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक नं0 3, जोधपुर के समक्ष लंबित वाद सं0 45/2005 का हवाला दिया जाना अनिवार्य होगा। लेकिन रेस्पो0 सं0 2 ने अवैध रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की अवहेलना करते हुए भू उपयोग परिवर्तन आदेश प्राप्त कर लिया। इस संबंध में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अवहेलना याचिका प्रस्तुत की, जो आज भी विचाराधीन है। लेकिन अप्रार्थी सं. 2 ने तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर के समक्ष धारा 90.बी, भू–राजस्व अधिनियम के तहत आदेश व पट्टे जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस बाबत अपीलार्थी ने आपत्तियां भी प्रस्तुत की। लेकिन तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर ने अवैध रूप से उक्त आपत्तियां निरस्त कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील सर्वप्रथम न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां दिनांक 07.01.2009 को प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के आदेश क्रमांक 16/94 दि0 26.28.2012 की पालना में मूल पत्रावली इस न्यायालय में सुनवाई हेतु मुतकिल की गई। प्रकरण प्राप्त होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण में सुनवाई प्रारम्भ की गई। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक श्री एस.एन.भट्ट अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम धिनाणा की ढ़ाणी पटवार हल्का पाल, जिला जोधपुर जो दिनांक 03.09.2008 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित किया गया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धिनाणा की ढ़ाणी में स्थित खसरा नं0 472/1 रकबा 16.16 बीघा के भूमि बाबत न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक नं0 3, जोधपुर में दिवानी मूल वाद संख्या 45/2005 बाहेती ऐज्यूकेशन बनाम नीमाराम वगेरा के नाम से वाद लंबित है। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल विविध अपील संख्या 1209/2006 में आदेश पारित कर रखा है कि नगर सुधार न्यास, जोधपुर राजस्थान राज्य यदि किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करते है तो अपर जिला न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक नं0 3, जोधपुर के समक्ष लंबित वाद सं0 45/2005 का हवाला दिया जाना अनिवार्य होगा। लेकिन रेस्पो0 सं0 2 ने अवैध रूप से राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की अवहेलना करते हुए भू उपयोग परिवर्तन आदेश प्राप्त कर लिया। इस संबंध में अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अवहेलना याचिका प्रस्तुत की। जो आज भी विचाराधीन है। लेकिन अप्रार्थी सं. 2 ने तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर के समक्ष धारा 90.बी, भू–राजस्व अधिनियम के तहत आदेश व पट्टे जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस बाबत अपीलार्थी ने आपत्तियां भी प्रस्तुत की। लेकिन तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर ने अवैध रूप से उक्त आपत्तियां निरस्त कर दी एवं धारा 90.बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत आदेश पारित कर दिया, जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी जो विचाराधीन है।

अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि धारा 90.बी. भू–राजस्व अधिनियम के तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर ने आलौच्य नामान्तरकरण नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम से पारित कर दिया है। जिसकी जानकारी जब अपीलार्थी को हुई तो वास्तव में तहसीलदार जोधपुर को आलौच्य नामान्तरकरण पारित करने का क्षेत्राधिकार नही था। कानून के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी जिसके यहां धारा 90.बी भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उसके सम्पूर्ण रूप से संतुष्ठ नही होने के पश्चात् धारा 90.बी.(6) भू–राजस्व अधिनियम के तहत सभी प्रकार के भारमुक्त होने पर ही धारा 90.बी. के तहत कोई आदेश पारित किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकरण में अपीलार्थी और रेस्पो0 के बीच विभिन्न न्यायालयों में वाद लंबित है, जिसके बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में भी आदेश पारित कर रखा है, इस प्रकार धारा 90.बी. भू–राजस्व अधिनियम के

तहत कोई कार्यवाही पोषणीय नही थी। लेकिन तत्कालीन नगर सुधार न्यास, जोधपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यवाही की।

अपीलार्थी अभिभाषक ने अपनी बहस में यह कथन भी किया कि नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व धारा 135 भू–राजस्व अधिनियम के तहत कोई जांच नही की गई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई नोटिस और सुनवाई का अवसर नही दिया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत तहसीलदार, जोधपुर ने आदेश पारित किया है, उसे निरस्त किया जावे।

रेस्पो0 सं0 2 के विद्वान अभिभाषक श्री अशोक पटेल ने अपनी बहस शुरू करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी विशेषाधिकारी (भूमि), नगर विकास न्यास, जोधपुर के प्रकरण सं. 1944/07 के निर्णय दिनांक 29.06.2008 की पालना में तहसीलदार, जोधपुर ने आदेश पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय ने नही की। अपीलाण्ट को चाहिये था कि जिस आदेश की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, उस आदेश को चुनौती देनी चाहिये थी। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

यह अपील धारा 75 नामान्तरकरण सं 335 दिरांक 03.09.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी। अपीलाण्ट एवं रेस्पो0 दोनों की बहस सुनी गयी। विवेचन निम्न प्रकार किया गया–

हमने विवादित नामान्तकरण सं. 335 दिनांक 03.09.2008 का अध्ययन किया। यह नामान्तरकरण न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास के प्रकरण सं. 1944 /07 के निर्णय दिनांक 29.08.2008 की पालना में स्वीकृत किया गया है। साथ ही नामाकरण स्वीकृत करते समय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह नोट लगाया गया कि इस नामान्तकरण की स्वीकृति माननीय न्यायालय एडीजे (फास्ट ट्रेक) सं. 03 जोधुपर में विचाराधीन वाद सं 45/05 (बाहेती एज्युकेशन टस्ट) बनाम नेमाराम में पारित निर्णय के अध्यधीन रहेगी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील व बहस में अवगत कराया कि नगर सुधार न्यास जोधपुर के समक्ष 90.बी. की कार्यवाही के समय उनके द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत की गयी, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आपत्तियां निरस्त कर दी जिसकी अपील माननीय संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में लम्बित है। इस प्रकार हम यह देखते है कि यह नामान्तरकरण न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी के निर्णय की पालना में दिनांक 03.09.2008 को स्वीकृत किया गया था। तत समय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास का धारा 90.बी. के तहत जारी आदेया दिनांक 29.08.208 प्रभाव में था अत विवादित भूमि के संबंध में एक सिविल वाद माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट टेक सं 3 में लम्बित था। अधिनस्थ न्यायालय ने विवाादित नामान्तकरण सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की पालना में स्वीकृत किया

था तथा माननीय सिविल न्यायालय में लम्बित वाद के निर्णय के अध्यधीन नामान्तकरण को स्वीकृत किया गया।

मैं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण में कोई विधिक त्रृटि नहीं पाता हूॅ। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अरूण कुमार हसीजा)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांकः 01.06.2016 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर।